

Seventeenth Series, Vol. XII No. 2

Tuesday, July 20, 2021
Ashadha 29, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Sixth Session
(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XII contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

**Secretary-General
Lok Sabha**

Suman Arora

Joint Secretary

Suman Rattan

Director

Narad Prasad Kimothi

Joint Director

Srivilasa Pandey

Joint Director

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XII, Sixth Session, 2021/1943 (Saka)
No. 02, Tuesday, July 20, 2021/ Ashadha 29, 1943 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 21	10-11
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 22 to 40	15-114
Unstarred Question Nos. 231 to 460	115-871

20.07.2021 2

ASSENT TO BILLS 873-874

PAPERS LAID ON THE TABLE 875-879

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

36th to 38th Reports 880

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development

Sadhvi Niranjan Jyoti 881

ELECTION TO COMMITTEE

Committee on Official Language 882

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS-
FIRST BATCH, 2021- 2022**

Statement 883

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2017-2018

Statement 883

MATTERS UNDER RULE 377

884-905

- (i) Need to set up a Rail Coach Factory in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Subhash Chandra Baheria

884

- (ii) Regarding grievances of farmers related to Bharatmala Project in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Parbatbhai Savabhai Patel

885

- (iii) Regarding security scenario in Darjeeling

Shri Raju Bista

886

- (iv) Need to undertake construction work of extension of platform and foot over bridge at Shankarpur Railway Station in Sitapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Rajesh Verma

887

- (v) Regarding Mega river linking Project in Saran, Bihar

Shri Rajiv Pratap Rudy

888

- (vi) Regarding Deoghar-Pirpainti via Godda Railway line

Dr. Nishikant Dubey

889

- (vii) Regarding fixing price of forest produce in Chhattisgarh

Shri Mohan Mandavi

890

- (viii) Regarding alleged illegal mining of sand and stone in rivers in Chhattisgarh

Shri Chunnilal Sahu

891

- (ix) Regarding water crisis in Delhi

Shri Parvesh Sahib Singh Verma

892

- (x) Need to provide financial assistance to people affected due to Cyclone Tauktae (TauTe) in Gujarat particularly in Amreli Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Naranbhai Kachhadiya

893

- (xi) Need to provide adequate compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of Jammu and Kashmir

Shri Jugal Kishore Sharma

894

- (xii) Need to include Bhojpuri, Rajasthani and Bhoti language in the Eighth Schedule to the Constitution

Shri Jagdambika Pal

895

- (xiii) Need to run a Vande Bharat train between Gorakhpur and Delhi

Shri Ravi Kishan

896

- (xiv) Regarding recurring accidents at Muthlappozhi fishing harbour in Attingal, Kerala

Adv. Adoor Prakash

897

- (xv) Regarding relaying of Sewage and water lines in North Chennai

Dr. Kalanidhi Veeraswamy

898

- (xvi) Regarding train connectivity between Chennai and Tiruvannamalai

Shri C.N. Annadurai

899

- (xvii) Regarding inclusion of petroleum products under GST

Prof. Sougata Ray

900

- (xviii) Need to provide financial assistance to farmers who suffered loss due to heavy rains in Osmanabad Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Om Pavan Rajenimbalkar

901

- (xix) Need to provide a permanent solution to annual floods in Bihar

Shri Dileshwar Kamait

902

(xx) Regarding Talcher Thermal Power Station

Shri Mahesh Sahoo

903

(xxi) Regarding withdrawal of regulations in
Lakhshadweep

Adv. A.M. Ariff

904

(xxii) Regarding demolition of a Church in Delhi

Shri Thomas Chazhikadan

905

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

22nd Report

908

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

20.07.2021

8

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, July 20, 2021/ Ashadha 29, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 21

...(व्यवधान)

11.0 ¼ hrs

At this stage Prof. Sougata Ray, Adv. A.M. Ariff, Shri Gaurav Gogoi and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप नियमों और प्रक्रियाओं के तहत नोटिस दीजिए। आप सदन के वेल में आकर चर्चा मत कीजिए। आप नियम और प्रक्रिया के तहत नोटिस दीजिए। आप सभी सीनियर नेता हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 21, श्रीमती जसकौर मीना जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सदन में गलत परंपराओं को डालने की कोशिश मत कीजिए। आप सीनियर नेता हैं। आप नोटिस दीजिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दिलवाऊंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल सरकार ने पूरे तरीके से स्टेटमेंट दिया था।

...(व्यवधान)

11.01 hrs

ORAL ANSWER TO QUESTION

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 21, श्रीमती जसकौर मीना ।

(Q. 21)

श्रीमती जसकौर मीना : अध्यक्ष महोदय, आधुनिक कृषि में आय की वृद्धि हेतु एफपीओ का गठन करने की व्यवस्था रखी गई है ।...(व्यवधान) मेरा सुझाव है और मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी?... (व्यवधान) इसके साथ ही साथ सरकार इसकी संख्या को मिनिमम 150 करने के लिए क्या प्रयास करेगी ?...(व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने एफपीओ के गठन के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन एफपीओ का गठन किया जाता है, इससे पहले उनकी संख्या 1,000 हुआ करती थी ।...(व्यवधान) लेकिन अब उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी संख्या कम से कम 300 कर दी गई है ।...(व्यवधान) अगर कोई हिली स्टेशन है, तो वहां पर कम से कम 100 सदस्य होना जरूरी है ।...(व्यवधान) इसके साथ ही साथ इसके अंदर, विशेषकर इस समय जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है कि इसकी संख्या 150 तक होनी चाहिए, तो मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि यह एक समूह है । ... (व्यवधान)

जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, तो इसमें महिलाएं भी सदस्य बन सकती हैं और पुरुष भी सदस्य बन सकते हैं । इसमें दोनों को छूट है । ... (व्यवधान) लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने 150 की संख्या के बारे में जो कहा है, तो इसमें जितना बड़ा ग्रुप बनेगा, जैसा कि हमारे सामने डेयरी का उदाहरण है, किसानों की संख्या जितनी

अधिक होगी, वे उतना ही बड़ा समूह बना पाएंगे। इसकी वजह से वे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे या अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करके उसकी मार्केटिंग करेंगे।...(व्यवधान) अगर अधिक ग्रुप्स होंगे, तो वे उसमें अपने प्रोडक्ट्स को लाकर रख सकेंगे।...(व्यवधान)

मैं यह सोचता हूँ कि इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जब अधिक ग्रुप्स होंगे, तो उस की वजह से उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि हिली स्टेशनों में 100 की संख्या रखी गई है और बाकी जगहों पर इसके अंदर कम से कम 300 सदस्यों का प्रावधान रखा गया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन में तख्तियां लाना हमारे नियम और प्रक्रियाओं के तहत उचित नहीं है। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। मैं आपके हर मुद्दे पर बहस करवाऊंगा। आपको उनका जवाब मिलेगा। लेकिन सदन में तख्तियां दिखाना और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से फिर से कह रहा हूँ कि आप अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। आप जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

...(व्यवधान)

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Starred Question Nos. 22 to 40
Unstarred Question Nos. 231 to 460)
(Page no. 15-871)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

...(व्यवधान)

14.0 ½ hrs

At this stage Shri P.V. Midhun Reddy, Shri Gaurav Gogoi, Shrimati Harsimrat Kaur Badal and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में सदन में बहस करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह विपक्ष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए और बहस में भाग लीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 7, महासचिव।

14.01 hrs

ASSENT TO BILLS

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table the following eleven Bills passed by the Houses of Parliament during the Fifth Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 10th March, 2021:-

- (i) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021;
- (ii) The Appropriation Bill, 2021;
- (iii) The Insurance (Amendment) Bill, 2021;
- (iv) The Appropriation (No. 2) Bill, 2021;
- (v) The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2021;
- (vi) The Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill, 2021;
- (vii) The Puducherry Appropriation (Vote on Account) Bill, 2021;
- (viii) The Puducherry Appropriation Bill, 2021;
- (ix) The Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2021;
- (x) The Finance Bill, 2021; and
- (xi) The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2021.

I also lay on the Table a copy each, duly authenticated by the Secretary-General, Rajya Sabha of following five Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:-

- (i) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021;

- (ii) The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021;
 - (iii) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021;
 - (iv) The National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021; and
 - (v) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021.
-

14.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 2 से 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री मनसुख मांडविया जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4346/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(क) के अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 3) के दिनांक 5 अप्रैल, 2021 के शुद्धिपत्र, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4347/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, डॉ. संजीव कुमार बालियान जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4348/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ख की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.1050, जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उन अधिकारों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनके ओसीआई कार्ड धारक हकदार हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4349/17/21]

(2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 452 (अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 621 (अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
- (दो) सा.का.नि. 453 (अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 620 (अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
- (तीन) सा.का.नि. 454 (अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 9 अक्तूबर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 621 (अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

[Placed in Library, See No. LT 4350/17/21]

(3) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के खंड 2 के उप-खंड (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 928 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित अगरतला भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के लिए 02.03.2020 से "सिविल प्राधिकारी " के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (दो) का.आ. 930 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित गोजाडंगा भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के लिए 02.03.2020 से "सिविल प्राधिकारी " के रूप में नियुक्त किया गया है।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1950 के नियम 3 के उप-नियम (ख) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 927 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले की अगरतला भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी को यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए प्राधिकृत भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के रूप में अभिहित किया गया है।
- (दो) का.आ. 929 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित गोजाडंगा भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी को यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए प्राधिकृत भूमि आप्रवास निरीक्षण चौकी के रूप में अभिहित किया गया है।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, श्री कैलाश चौधरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 4352/17/21]

- (2) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा** की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 4353/17/21]

- (3) इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा*** की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 4354/17/21]

* वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 18.12.2018 को सभापटल पर रखे गए थे।

** वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 03.12.2019 को सभापटल पर रखे गए थे।

*** वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 17.03.2020 को सभापटल पर रखे गए थे।

14.04 hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

36th to 38th Reports

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Sir, I rise to present the following Reports

(Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2021-22):-

- (1) *36th Report on “Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twelfth Report (17th Lok Sabha) on “Management of Funds”;
- (2) *37th Report on “Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirteenth Report (17th Lok Sabha) on “Doubtful Recovery of Outstanding Dues because of Failure of Fiduciary Duty-Bangalore International Airport Limited, Bangalore (BIAL)”;
- (3) 38th Report on “Action taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in their 42nd Report (16th Lok Sabha) on “Non-Compliance by Ministries/Departments in Timely Submission of Action Taken Notes on the Non-selected Audit Paragraphs (Civil and other Ministries)”.

* The Thirty- sixth and Thirty- seventh Reports were presented to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on 13th April 2021 under Direction 71A when the House was not in Session and the Speaker ordered the Printing, Publication and Circulation of the Reports under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The matter was duly notified vide Lok Sabha Bulletin Part - II No. 2483 dated 15th April, 2021.

14.05 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): मैं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन के पटल पर रखती हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4345/17/21

14.06 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Committee on Official Language

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से, प्रस्ताव करता हूँ:

“कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री राम स्वरूप शर्मा, जिनका 17 मार्च, 2021 को निधन हो गया था, के स्थान पर अपने में से एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री राम स्वरूप शर्मा, जिनका 17 मार्च, 2021 को निधन हो गया था, के स्थान पर अपने में से एक सदस्य को राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14.07 hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS- FIRST BATCH, 2021-2022

Statement

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants - First Batch for 2021-2022.

... (*Interruptions*)

14.07 ½ hrs

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2017-2018

Statement

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess Grants for 2017-2018.

... (*Interruptions*)

14.08 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अन्दर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखें।

... (व्यवधान)

(i) Need to set up a Rail Coach Factory in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में रेलवे ने सरकारी उपक्रम भारत हेवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड से मेमू कोच कारखाना स्थापित करने के लिए समझौता (एएमयू) किया। इसके लिए गुलबपुरा के निकट स्थान का चयन भी हो गया तथा राजस्थान सरकार ने रेलवे को कारखाने हेतु जमीन हस्तांतरित कर दी। 22.2.2013 को कारखाने का शिलान्यास किया गया। उसके उपरांत 8 साल से अधिक का समय व्यतीत हो गया है। आगे किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है। पूर्व में रेल राज्य मंत्री ने कारखाना स्थापित करने की सरकार की तरफ से मंशा जाहिर की थी। क्षेत्रवासी रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार को इस दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। अतः रेलवे उपलब्ध जमीन पर मेमू कारखाना या अन्य कोच/उपकरण कारखाना जिसकी आवश्यकता हो लगावे।

* Treated as laid on the Table.

**(ii) Regarding grievances of farmers related to Bharatmala Project in
Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat**

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): वर्तमान में मेरे संसदीय मतक्षेत्र बनासकांठा जिले में भारतमाला परियोजना का कार्य अभी प्रगति पर है, यह छः मार्गीय सड़क है जिसमें 70 मीटर चौड़ाई में किसानों की जमीन को सम्पादित किया है, इसकी वजह से किसानों को कई दिक्कतें आ रही हैं –

(1) जिस किसान के खेत से सड़क गुजरती है उसका सर्वे नंबर ब्लॉक के दो हिस्सों में सड़क के कारण बंट जाता है उसमें दूसरे हिस्से में जाने का रास्ता कहीं से भी बचता नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि उसके लिए सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड का प्रावधान रखना चाहिए ताकि किसान अपने खेत में जा सके।

(2) अभी वर्तमान में दोनों साइड सर्विस रोड न रखकर कंपनी की ओर दोनों साइड में प्रोटेक्शन वाला बनाई जा रही है मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि वो बंद कर देनी चाहिए ताकि किसान अपने खेत में आवाजाही कर सके।

(3) परियोजना की सड़क में कई जगहों पर क्रासिंग के लिए जो अंडरपास बनाये जा रहे हैं उसका क्षेत्र छोटा होने के कारण किसान की ट्रैक्टर ट्रौली में आने जाने में दिक्कत होगी तो इस अंडरपास को भी बड़ा बनाया जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी उपर्युक्त सभी मांगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही होगी।

(iii) Regarding security scenario in Darjeeling

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): In North Bengal, Darjeeling constituency is in a highly sensitive zone.- Darjeeling is the only district in India with four international boundaries, i.e. Nepal, Bhutan, Bangladesh and China. This region is turning into a hub for Drugs, Arms, Gold, and Human Trafficking. Drugs are smuggled into India through this route. Because of easy drugs availability, large number of our youths are becoming drug addicts, destroying thousands of families. Along with narcotics, criminals use this route for human trafficking, especially women and children. In recent years, foreign nationals staying illegally have been arrested, and many ISI and Terror modules busted here. I am worried that these criminal activities are used for funding Narco-Terrorism - Despite the threat to national security, the state Govt has done very little towards combating this menace. I request, Home Minister to investigate into all Trafficking by Central Agencies.

(iv) Need to undertake construction work of extension of platform and foot over bridge at Shankarpur Railway Station in Sitapur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सीतापुर के शंकरपुर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस स्टेशन पर 4 लाइन स्टेशन व सिग्नल स्टेशन बिल्डिंग बननी है, जिसका सर्वे हो गया था। जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा आवश्यक भूमि के अधिग्रहण हेतु बैठक होकर किसानों की सहमति भी मिल गयी है। इसके अतिरिक्त हाईलेवल 500 मीटर प्लेटफॉर्म व ऊपरी पैदल पार पथ भी बनना है। जिसका टेण्डर भी हो चुका है, लेकिन कोविड-19 के चलते कार्य आरम्भ नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में, मैं सरकार से माँग करता हूँ कि जनहित को ध्यान में रखते हुये उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण व पैदल पार पथ बनाने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(v) Regarding Mega river linking Project in Saran, Bihar

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): The Commissioner of Saran has 3 districts under it with a population of about 1.2 crores. It has 4 major rivers- the Ganga, Gandak, Ghaggara and a tributary of Son flowing through it. During the monsoon, due to heavy discharge in Gandak from Nepal, where the Gandak canal is unable to hold water during monsoons, intermittent discharge of over 4 lakh cusecs is sent downstream, causing heavy flooding in Saran. The State Government of Bihar is preparing a mega project in Saran to link the 4 rivers and regulate the water levels. MECON, a PSU of Govt of India is preparing the DPR. However, there has been inordinate delay in the preparation of the DPR on the part of MECON causing continued suffering to the people. I request the Ministry of Jal Shakti to take cognisance of the matter and direct speedy completion of the project.

(vi) Regarding Deoghar-Pirpainti via Godda Railway line

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I have demanded, in my capacity as the Godda Lok Sabha MP, that the crucial Deoghar-Pirpainti via Godda railway line be constructed as per the new cost share of 50-50 as well. The state government agreed and wrote to the Railway Board that they are happily willing to contribute 50 per cent of the total cost.

In February 2014, the CCEA cleared this 127-km Deoghar Pirpainti via Godda rail project. The land acquisition has since started. However, in 2017 the Coal Ministry put up an objection saying that it has been allotted a coal block on the route between Godda Pirpainti. This came as a surprise, especially as prior NoC had already been provided by the Coal Ministry which allowed for the land acquisition to take place. Now, the Godda to Mahagama - 32 Km land acquisition process is complete and the Railways had awarded the work to lay the railway line.

However, the 30-km section between Mahagama and Pirpainti is stuck due to the coal companies last minute objections. Due to this hitch, the state government is not willing to fund the project, as the new alignment will go through Bihar. The people of the region are suffering since 72 years and due to this new problem, their hope seems to be dashed.

It is thus requested that you kindly intervene at the earliest and resolve this problem which is preventing the development of the region.

(vii) Regarding fixing price of forest produce in Chhattisgarh

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय वनोपज का संग्रहणकर्ताओं को उचित मूल्य दिया गया, ऐसा कहा गया है । यह दावा वास्तविकता से परे है । कोरोना काल में हाट -बाजार पूरी तरह से बंद थे । लेकिन योजनाबद्ध तरीके से वनोपज को व्यापारियों तक पहुंचाया गया । छत्तीसगढ़ राज्य महुआ फूल, इमली, गोंद और तेंदुपत्ता जैसे अनेक वनोपज में एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ।

वनोपज का संग्रहण कर उसके व्यापार करने पर सरकारी आकड़ों के अनुसार करीब एक हजार करोड़ की वार्षिक आमदनी होती है । सामान्य समय में बाजार खुलने पर वनोपज का संग्रहण कर जीविकापार्जन करने वाले आदिवासी भोले-भाले लोगों से वनोपज कम दामों में खरीद कर कोरोना के संकट काल में इनका दोहन और शोषण कर उनके हक का हनन हुआ है और व्यापारी वर्ग को फायदा पहुंचाया गया । मैं सरकार का ध्यान इस बात पर आकृष्ट करता हूँ कि पुनः वनोपज संग्रहणकर्ताओं को आने वाले वर्षों में नुकसान न हो इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में वनोपज का उचित मूल्य निर्धारित कर संग्रहकों को लाभ दिया जाए ।

(viii) Regarding alleged illegal mining of sand and stone in rivers in Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ में खदान आवंटन की निश्चित अवधि पश्चात भी नियमों को ताक में रखकर रेत और पत्थर का अवैध खनन जारी है। नदियों से रेत ठेकेदारों द्वारा चैन माउंटैन से रेत का बेखौफ़ उत्खनन किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। इस अवैध कार्य पर रोक लगाने में विभागीय अफसर भी नाकाम रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी व तंदुला नदी या अन्य प्रमुख नदियों से खनिज विभाग द्वारा ठेकेदारी प्रथा के अनुसार खदान आवंटित किया गया है। परंतु रेत व पत्थर खनन के साथ विभागीय नियमों का भी पालन होना चाहिए। अवैध रूप से गाड़ियों में ओवर लोडिंग की जाती है जिससे परिवहन सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है।

खराब सड़कों के रख-रखाव एवं संधारण हेतु जन-प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा विरोध जताने या केस दर्ज करने पर रेत-माफियाओं द्वारा उन पर प्राण घातक हमले होते हैं। रेत और पत्थर माफियाओं की मनमानी छत्तीसगढ़ में किसके संरक्षण में चल रही है, यह जांच का विषय है। ऐसे ही खनिज विभाग उदासीन रहा तो ठेकेदारों की मनमानी से पर्यावरणीय नुकसान होता रहेगा।

अतः सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त संबंध में शीघ्र जांच कराकर उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

(ix) Regarding water crisis in Delhi

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): Amidst raging heat wave in Delhi, the residents of the city are facing severe water scarcity as the Delhi Government has reduced supply. As per Economic Survey 2017 of the Delhi Government, 20% of the drinking water in Delhi was wasted due to mismanagement. As a result, the citizens are forced to flout social distancing norms and wait in long queues for tanker. The water supply is also said to be affected due to failure of the Delhi Government to check algae and high ammonia levels in Yamuna. Therefore, I urge the Union Government to take immediate steps and direct the Delhi Government to resolve the water crisis being faced by residents of Delhi amid scorching heat and pandemic.

**(x) Need to provide financial assistance to people affected due to Cyclone
Tauktae (TauTe) in Gujarat particularly in Amreli Parliamentary
Constituency, Gujarat**

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): हाल ही में चक्रवाती तूफान तौक-ते (ताउ ते) एवं मूसलाधार बारिश और तूफान के कारण पूरे गुजरात प्रदेश में विशेषकर अमरेली जिले में भारी तबाही हुई है। करीब 150 किलोमीटर प्रति-घंटे की रफ्तार से तूफान होने के कारण गांवों में बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर गए और कई घर इसकी चपेट में आ गए और कच्चे मकान जो टिन-छप्पर से बने हुए थे, वे आंधी में उड़ गए। लगातार बारिश के कारण किसानों के खेत खड्डे में तब्दील हो गए, गाँव की सड़कें बह गईं, किसानों के पशुधन एवं पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गए। गांवों में बिजली के खम्भे गिर गए जिसके कारण पूरे इलाके में कई दिनों तक बिजली सेवाएं ठप्प रही। लोगों को अँधेरे में गुजारा करना पड़ा। तूफान एवं भारी बारिश के कारण गांव-कस्बों को जोड़ने वाली सड़कें खराब हो गईं। इस कारण मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के निवासियों को भारी जान माल के नुकसान को झेलना पड़ा है। यह मार इतनी बड़ी है कि इससे लोगों को उबर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अमरेली एक तटीय क्षेत्र होने के कारण तटीय इलाके के नजदीक वाले गांवों में कई-कई फीट तक पानी भर गया जिसके कारण पूरे गाँव की गलियां कीचड़ में तब्दील हो गईं और विशेषकर मछली पकड़ने वाले लोगों की स्थिति दयनीय हो गई। वहां मछुआरे अपने रोजी रोटी हेतु ऋण लेकर नाव खरीदते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं और इस चक्रवाती तूफान में मछुआरों की नावें बह गईं जिसके कारण वे लोग बेरोजगार हो गए हैं लेकिन बैंको की किश्त चालू है। अतः मेरा सम्बंधित विभाग अथवा मंत्रालय से आग्रह है कि गुजरात राज्य के विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के लोगों को हुए जान माल की क्षति का आकलन कर जल्द से जल्द पूरे प्रदेश के लोगों के साथ साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सहायता की जाये जिससे कि वह पूर्व की तरह अपना जीवनयापन कर पायें।

(xi) Need to provide adequate compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of Jammu and Kashmir

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर राज्य के उन सीमावर्ती स्थानों की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ की सीमा पर तारबंदी हुई है। तारबंदी के कारण, तारबंदी के दूसरी ओर जो खेती की जमीन थी उसका अधिग्रहण कर लिया गया है, उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं।

उन गरीब किसानों को भुखमरी की नौबत आ गयी है। इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है। ना ही उन्हें कोई रोजगार मिला और ना ही उन्हें उस जमीन का मुआवजा अभी तक मिला है, जिससे कि वह आपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुआवजा देने का कष्ट करे ताकि वह किसान अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें।

(xii) Need to include Bhojpuri, Rajasthani and Bhoti language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी को अभी तक संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि यह तीनों भाषाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। भोजपुरी भाषा को मॉरीशस ने, भोटी भाषा को भूटान ने तथा राजस्थानी भाषा को नेपाल ने पहले ही मान्यता दे रखी है। भारत में इस सन्दर्भ में 1969 से लेकर अब तक 19 बार गैर- सरकारी विधेयक लाए जाने के बावजूद अभी तक उसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जबकि भोजपुरी भाषा देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी झारखण्ड के क्षेत्रों में बोली जाती है। आकड़ों के अनुसार, 16 देशों में लगभग 20 करोड़ लोगो द्वारा भोजपुरी भाषा बोली जाती हैं।

पूरे विश्व में भोजपुरी भाषा ब्राज़ील, फिजी, गुयाना, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबागो आदि देशों में बोली जा रही है।

अतः भारत सरकार से भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषाओं को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल करने की मांग करता हूँ।

(xiii) Need to run a Vande Bharat train between Gorakhpur and Delhi

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल का सबसे प्रमुख शहर है। यह पड़ोसी राज्यों बिहार और सीमावर्ती देश नेपाल के भी समीप है। गोरखपुर सहित पूर्वांचल के बीस जिलों और सीमावर्ती राज्यों के आस पास के जिलों के लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए गोरखपुर पर निर्भर हैं। गोरखपुर में रेलवे का एक बहुत बड़ा स्टेशन है। यहां पर वायुसेना का भी एक बहुत बड़ा स्टेशन है। यहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आवागमन करते हैं लेकिन राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर एक भी रेलगाड़ी गोरखपुर से दिल्ली के लिए उपलब्ध नहीं है जिससे यहां के लोगों को दिल्ली आवागमन में काफी समय लगता है। भारत सरकार ने वन्दे भारत नाम से अत्यंत तीव्र गति की रेलगाड़ी की शुरुआत की है जो अत्यंत कम समय में अपना सफ़र पूरा करती है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि गोरखपुर से दिल्ली के लिए एक वन्दे भारत रेलगाड़ी अतिशीघ्र चलायी जाए जिससे गोरखपुर और इसके आस पास के जिले के लोगों को दिल्ली आवागमन में काफी सुविधा होगी।

(xiv) Regarding recurring accidents at Muthlappozhi fishing harbour in Attingal, Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): The recurring accidents at Muthalappozhi fishing harbour in my constituency Attingal is a matter of urgent concern. Union Government had sought a report from the State Government of Kerala after this issue was raised by me in the Lok Sabha. The State Government has submitted a status report which denies the safety issues in the harbour. But the accidents are continuing and two fishermen have died recently. Around 56 fishermen lost their lives, more than 500 injured and many boats were destroyed so far. The unscientific construction has turned the breakwater region into a death trap for fishermen. I again urge the Government to conduct a scientific study and take corrective measures. Presently there is no permanent rescue operation team posted there. Many lives can be saved by deputing a permanent rescue operations team in the harbour and I request the Government to consider it at the earliest.

(xv) Regarding relaying of Sewage and water lines in North Chennai

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): North Chennai is one of the oldest (more than 150 years) and most historic part of the city. The infrastructure of sewage and water lines have got damaged over time. Sewage water getting mixed with potable drinking water has become a common problem in few localities of North Chennai, making public of these localities susceptible to waterborne infections. The situation has put many residents in a tough spot, as they are now buying water for drinking and other purposes. People belonging to lower economic groups are using the water, as they cannot afford to buy canned water.

As it involves huge costs, I once again request Centre Governments to provide fund to State Government under any Central Government Scheme for relaying of sewage and water lines in North Chennai to help the poor people of my Parliamentary Constituency.

(xvi) Regarding train connectivity between Chennai and Tiruvannamalai

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Tiruvannamalai Railway Station in Tamil Nadu is 125 years old. The Passenger Train from Tambaram to Tiruvannamalai was running till 2007 on meter gauge. The work relating to conversion of meter gauge to broad gauge commenced in the year 2007 which temporarily disrupted the railway connectivity to Tiruvannamalai. After completion of conversion of railway track the daily passenger train which was operating between Tambaram to Tiruvannamalai has not been restored. The Temple city of Tiruvannamalai attracts lakhs of visitors for Dharshan of Lord Arunachaleswarar and Girivalam. There is a huge public demand for direct train connection between Capital city of Chennai and Temple city of Tiruvannamalai. Hon'ble Railway Minister, may take necessary action to resume daily direct train connectivity between the Capital city of Chennai and Temple city of Tiruvannamalai without any delay.

(xvii) Regarding inclusion of petroleum products under GST

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The petrol prices have crossed the Rs 100-a-litre-mark in sixteen states and union territories. These include Delhi, West Bengal, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Jammu and Kashmir, Odisha, Tamil Nadu, Kerala, Bihar, Punjab, Bihar, Ladakh and Sikkim. The Centre and states have to “work together” to bring the retail prices under control. The government failed to bring down the high excise duties. As much as 60% of the retail price of petrol, is at an all-time high elsewhere in the country and is made up of Central and state taxes. The finance minister had increased central excise duty on petrol and diesel by a record margin last year to mop up gains arising from international oil prices plunging to two-decade low, remained non-committal on cutting taxes to give relief to consumers. I urge upon the government to bring petroleum products under the Goods and Services Tax (GST).

(xviii) Need to provide financial assistance to farmers who suffered loss due to heavy rains in Osmanabad Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): मेरा संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद मराठवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में आता है। गत वर्ष यहां पर भारी मात्रा में बारिश हुई और किसानों को खेती की बड़ी हानि हुई है और ड्रिप इरिगेशन और कृषि में उपयोग किये जाने वाले यंत्र जो काफी महंगे थे नदी के पानी में बह गए हैं, साथ ही बिजली गिरने से बहुत से किसानों के पशु भी मर गये और कुछ नदी के पानी में बह गये, किसान इनको फिर से खरीदने की हालत में नहीं हैं। इस भयावह स्थिति से लेकर अभी तक इन प्रभावित किसानों को केन्द्र सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली है और न ही इसके लिए कोई घोषणा की गई है और प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की मदद किसानों को प्राप्त नहीं हुई है। मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि एक ओर मेरे चुनाव क्षेत्र में किसान पहले से ही आत्महत्या जैसे समस्याओं से घिरा हुआ है और दूसरी ओर कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, तीसरी ओर भारी वर्षा के कारण उनके खेत, औजार, पशु वर्षा की भेंट चढ़ गये। इस स्थिति में केन्द्र सरकार का दायित्व बनता है कि वह आगे आकर किसानों की मदद करें। एन.डी.आर.एफ. के तहत 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को ही मदद मिलती है इससे ज्यादा जमीन वाले किसानों को एन.डी.आर.एफ. के तहत कोई मदद नहीं दी जाती है। अतः 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले किसानों को भी 2 हेक्टेयर पर सहायता दिये जाने की जरूरत है। अतः, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह अपने दायित्वों का सही से निर्वाह कर एन.डी.आर.एफ. के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र में 2 हेक्टेयर और इससे ऊपर जमीन वाले किसानों को भी 2 हेक्टेयर जमीन सहायता देने की कृपा करें।

(xix) Need to provide a permanent solution to annual floods in Bihar

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): बिहार में गंडक, बागमती, लखनदेई, कमला और कोसी समेत आधा दर्जन से भी ज़्यादा नदियों में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं, इसमें एक बड़ा योगदान नेपाल से आने वाले पानी का है, जिसकी वजह से कोसी, कमला, बागमती, गंडक, महानंदा और गंगा मानसून के समय बेहद खतरनाक रूप ले लेती हैं, इस दौरान बिहार के आधे से ज्यादा जिले बुरी तरह प्रभावित होते हैं. इसमें ना सिर्फ लोगों के जानमाल बल्कि खेती का भी बड़ा नुकसान होता है। 1952 में बिहार की मात्र 25 लाख हेक्टेयर ज़मीन बाढ़ ग्रस्त थी. आज यह आंकड़ा बढ़कर 68.8 लाख हेक्टेयर हो गयी है, जो लगभग 3 गुना है | मैं सरकार से माँग करता हूँ बिहार में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ का स्थायी समाधान किया जाए |

(xx) Regarding Talcher Thermal Power Station

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Talcher Thermal Power Station managed by NTPC completed fifty years of commissioning and both phases 1 and 2 have been shut down since 31st March 2021. Closure of this 460MW plant has left the future of 829 employees and thousands of beneficiaries in uncertainty. Officers who were from power department have been transferred to various plants across the country.

A few years back it was announced that there will be a 3rd phase before the closure of Phase 1 & 2 but it is nowhere visible. Whether the old plant will be restarted or work starting on the 3rd phase or setting up a new plant is not known. Government should spell out its plan and provide a status report. And if the entire thing is scrapped what will be the next step?

I urge upon the Ministry of Power to take necessary steps and give directives in this regard.

(xxi) Regarding withdrawal of regulations in Lakshadweep

ADV. A. M. ARIF (ALAPPUZHA): Lakshadweep is facing an unprecedented situation as regulations are being imposed arbitrarily and undemocratically by its administration neglecting the sentiments of native people. Even the Kerala High Court had to intervene in the issue and stay the operation of two controversial orders passed by the administration under its new administrator.

Of late, Seven Kerala MPs who had applied for entry permits to visit Lakshadweep have been asked to produce a sponsor's declaration vouching for their good conduct and signed before a magistrate or notary. Applying this unusual condition meant solely for migrant labourers in the case of visit of MPs is a breach of privilege of the democratically elected people's representatives.

I urge the Government to intervene urgently to ward off the anxiety and fear of the natives and withdraw the controversial regulations and ensure hassle free entry for the people's representatives at the earliest.

(xxii) Regarding demolition of a Church in Delhi

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Little Flower Catholic Church at Andheria Modh, Lado Sarai in Chhatarpur, Delhi at which thousands of devotees used to pray for the last 13 years, was demolished on 12th July, 2021 by the authorities. More than 450 families are members of this church under the Faridabad Syro Malabar (Syrian Catholic) diocese. This insensible act has created great distrust among the Christian minorities. This demolition is in violation of the Delhi High Court's directions in a case in 2002 and also against the clear directions given by the NHRC in 2016. Both, the High Court and NHRC directed the authorities not to single out any person or institution and allowed the functioning of the church to continue. The church authorities were denied the opportunity to exercise legal remedies before the demolition. I request immediate intervention of the Minister of Home Affairs in this matter so that the rights of minorities are protected.

माननीय सभापति : सदस्यगण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मॉनसून सत्र है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे हटा लीजिए। इसको हटा लीजिए। यह सदन चर्चा करने के लिए है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

15.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fifteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)

...(व्यवधान)

15.0 ½ hrs

*At this stage S/Shri P.V. Midhun Reddy, N.K. Premachandran and some other
Hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

...(व्यवधान)

15.0 ¾ hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

22nd Report

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 22वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई, 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

15.01 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 22,
2021/Ashadha 31, 1943 (Saka)*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Lok Sabha T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.